(e) Question does not arise in view of reply to part 'd' above.

(f) Govt. of National Caiptal Territory of Delhi has taken a decision not to develop any more industrial plots in the Union Territory of Delhi.

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों संबंधी प्रस्ताव

3470. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहरों की गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के संबंध में किसी प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार का कार्यक्रम एक राज्य योजना है और इसके लिए प्रावधान, राज्य आयोजनाओं में किए जाते हैं। केन्द्र सरकार शहरी निर्धनों के लिये कोई प्रवर्तित दो योजनायें अर्थात् नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) और निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा (यू.बी.एस.पी.) चला रही है। एन.आर.वाई. अक्तूबर, 1989 और यू.बी.एस.पी. 1990 में प्रारम्भ हुई। योजनाओं की शुरूआत से राज्य सरकारों को एन.आर.वाई. और यू.बी.एस.पी. के तहत क्रमश: 431.39 करोड और 57.08 करोड रु० रिलीज किए गये हैं ;

(ग) एन.आर.वाई.और यू.बी.एस.पी. योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाएं शुरू करन के लिए प्राधिकृत है। इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव योजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में शहरी गन्दी बस्तियों में जल-निकासी की सुविधाएं

3471. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की शहरी गंदी बस्तियों में बरसाती पानी के निकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी राशि स्वीकृति/आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शहरी स्लमों में जल-निकासी और अन्य सुविधाओं अधिकांशत: शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार (ई.आई.यू.एम.) की राज्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह योजना पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के 46 कस्बों में चालू की थी।

जल निकासी के लिए अलग से कोई नियतन नहीं किया जाता है। शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार के अन्तर्गत शहरी स्लमों के सुधार हेतु नियतित/स्वीकृत घटक जल-निकासी सहित 7 सुविधाएं मुहैया करने के लिए है। जल-निकासी घटक की लागत स्लम परियोजना की कुल लागत का लगभग 45% आंकी गई है।